E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

# "ग्रामीण विकास में विभिन्न नियोजनों एवं जिला प्रशासन की भूमिका"

**डॉ. प्रभात चौधरी**
**शोध निर्देशक**
**प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग**
**शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना (म.प्र)**
**चन्द्र प्रकाश गौतम**
**शोधार्थी**
**विषय - राजनीति विज्ञान**
**जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र)**

**Paper Rcevied date**
05/12/2025
**Paper date Publishing Date**
10/12/2025
**DOI**
https://doi.org/10.5281/zenodo.18174668

IMPACT FACTOR
5.924

## शोध सार

भारतीय अर्थव्यवस्था एक निश्रित अर्थव्यवस्था है। अतः यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का ही देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। देश के आर्थिक नियोजन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की योजलाओं को अंगीकृत किया गया है। अब तक हमारे आर्थिक लियोजन का ढाँचा केन्द्रीयकृत और संकेन्द्रित प्रकार का रहा है। योजना आयोग लक्ष्यों को निर्धारित करके उसकी पूर्ति (या प्राप्ति) का उत्तरदायित्व अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों (सार्वजनिक एवं निजी) के विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को सौंप देता है, लेकिन योजना आयोग के माध्यम से नियोजल का जो केन्द्रीयकृत ढाँचा विद्यमान है, उसे बदलने की आवश्यकता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजला आयोग की भूमिका में परिवर्तन लाया गया या । जैसा कि योजला आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष प्रणव मुखर्जी का कहना था- "बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप हमले योजला आयोग की भूमिका को नये सिरे से परिभाषित किया है। योजना आयोग की अत्यधिक केन्द्रीयकृत प्रणाली से अब हम निदेशात्मक योजना प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह योजला (1992-97) निर्देशात्मक प्रकृति की रही है। इसके भविष्य के लिए दीर्घकालीन कार्यनीति बलाने पर जोर दिया गया है तथा राष्ट्र की प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी हैं। योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

विभिन्न विकल्पों की विस्तृत जाँच और विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाने का

प्रयास किया गया है। अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए इसमें क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिससे अर्थव्यवस्था को निर्धारित दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।"

सच तो यह है कि आठवीं योजला में लोकतांत्रिक आयोजल (Democratic Planning) पर जोर दिया गया अर्थात् पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक नियोजन के द्वार तक पहुँचना ध्येय रहा है।

मुख्यविन्दु : अर्थव्यवस्था, योगदान योजला परिवर्तन कार्यनीति, प्रोत्साहल

विकेन्द्रीकृत नियोजन (Decentralised Planning) :

विकेन्द्रीकृत नियोजन में योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्ययल केन्द्र से न होकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा संचालित होता है। इसके अन्तर्गत योजना निर्माण एवं संचालन में स्थानीय क्षेत्र विशेष के लोगों की सक्रिय भागीदारी रहती है।

लोकतांत्रिक नियोजन विकेन्द्रीकृत नियोजन का एक प्रमुख रूप है। इस प्रकार के लियोजन में योजनाओं को बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करने में जल सामान्य की भागीदारी रहती है। पंचायती राज प्रणाली में हम लोकतांत्रिक नियोजन का स्वरूप देख सकते हैं। भारत में योजनाओं की नीति, लक्ष्य आदि का निर्धारण योजना आयोग करता रहा है। साथ ही क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर अपनी सलाह देता रहा है। यहाँ पर राजनीति का रूप तो लोकतांत्रिक है, लेकिन नियोजन का स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं रहा है। यही कारण है कि भारत में सरकार एवं जनता का विश्वास दिल-प्रति-दिल कम होकर दोनों के मध्य अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। किसी भी आयोजन की सफलता

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आज जलता की भागीदारी उसमें किस सीमा तक विद्यमान है।

प्रो. कामताप्रसाद का मानना है कि पंचायती राज प्रणाली के जरिये योजना में लोगों की भागीदारी से योजना के और सक्षम एवं बेहतर होने की आशा है क्योंकि स्थानीय लोगों का अपनी आवश्यकताओं के बारे में बेहतर दृष्टिकोण होता है तथा स्थानीय संसाधनों के सम्बन्ध में उन्हें अच्छी जानकारी होती है। भारत में आज जिन राज्यों में पंचायती राज संस्थाएँ कार्य कर रही हैं: यहाँ उनकी भूमिका केवल सतही है क्योंकि योजना द्वारा समन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के चयन में अथवा ग्रामीण विकास योजनाओं में ये संस्थायें साधारण रूप से भागीदार रही हैं।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण अथवा ग्रामीण भारत में सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने और स्थानीय प्रयासों की उपयोगिता को बनाये रखने के उद्देश्य से जनवरी 1957 में बलवन्त राय मेहता समिति गठित की गयी। जिसने 24 नवम्बर 1957 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य के निचले स्तर पर अधिकारों एवं दायित्वों का विकेन्द्रीकरण करना अत्यन्त आवश्यक है। समिति ने आगे कहा- "सत्ता ऐसी संस्था को सौंपी जाये जो अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी हो और सरकार का काम मार्गदर्शन, उत्त स्तर की योजना बलाना तथा जहाँ आवश्यकता हो धन उपलब्ध कराना ही रहना चाहिये।

पंचायती राज संस्यायें हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की रीढ़ रही हैं. जिनके चारों ओर गाँव की समूची सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ चलती यी। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक ये पंचायतें ही हमारे गाँवों एवं ग्रामीणों की आवश्यकताओं की देखभाल करती थी। आज हमें पुलः ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका को लेकर नियोजन एवं उसकी कार्य प्रणाली का संचालन करना चाहिए।

जिला प्रशासन की भूमिका एवं महत्व (Role and Importance of District Administration) :

राज्य में जिला प्रशासन आधारभूत इकाई होती है। अतः जलता की शिकायतें जिला स्तर पर ही अधिक उभरती हैं। इसके अलावा अच्छे-बुरे प्रशासन का भेद जिला स्तर पर ही अनुभव किया जाता

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

है। राज्य विधान सभाओं के सदस्यों का जिलों से ही विशेष सम्पर्क रहता है। जिले राज्य प्रशासन की ऐसी इकाई होते हैं. जहाँ न केवल सरकारी नीतियों को ही क्रियान्चित किया जाता है, बल्कि जिनका नीति-निर्माताओं के चयन में भी निर्णायक प्रभाव रहता है। शासन प्रबंध की दृष्टि से तथा विकास योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन की दृष्टि से जिला प्रशासन बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। भारत में जिला प्रशासन की भूमिका और महत्व लिम्ल कारणों से विशेष रूप से अनुभव किया जाता है-

(1) सरकारी कालूलों और आदेशों को जिला क्षेत्र में लागू करना।

(2) सरकार का भू-राजस्व एकत्रित करना ।

(3) विकास कार्यों के माध्यम से जनता का अधिकाधिक विकास और कल्याण करना ।

नियोजन प्रणाली के विभिन्न रूप (Different Forms of Planning) :

विगत चार-पाँच दशकों के दौरान भारत में ग्रामीण विकास हेतु अपनायी गयी रणनीति में अनेक प्रकार की लियोजन पद्धतियों का अनुसरण किया गया है, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं-

1. अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नियोजन- अल्प या लघु अवधि के लिए जो नियोजन प्रक्रिया अपनायी जाती है, उसमें तात्कालिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं को सामने रखा जाता है। तात्कालिक समस्याएँ आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ही तरह की हो सकती है। इस प्रकार लघु अवधि की लियोजन प्रणाली तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी होती है। एक वर्षीय या कभी-कभी त्रिवर्षीय योजनाएँ बलाई जाती है। जैसे- भुगतान संतुलन एवं विदेशी विनिमय कोषों के अभाव से लिपटने के लिए बनायी गयी योजना, बजटीय व्यवस्था अल्पकालिक नियोजन में शामिल होती हैं। दूसरी ओर, अल्पकालिक नियोजन के अलावा या इसके साथ-साथ दीर्घावधि की योजनायें भी तैयार की जाती हैं। इसमें संस्थानिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन शामिल रहते हैं। इसमें पंचवर्षीय योजनायें दस वर्षीय या बीस वर्षीय योजनायें शामिल रहती हैं। जैसे आर्थिक विकास हेतु दीर्घकालिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण हेतु नीति भुगतान संतुलन की संरचनात्मक असामान्यता को सुधारने

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

हेतु योजना आदि। लघु अवधि की योजनायें दीर्घअवधि की योजना की रणनीति की सहायक होती है। लघु एवं दीर्घ अवधि की योजनाओं के मध्य सामंजस्य बनाये रखना होता है भारत में वार्षिक योजनायें वार्षिक बजट से जुड़ी होती हैं, उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के साथ जोड़ा जाता है। इस तरह दोनों ही प्रकार की योजनायें क्रमिक रूप से निरन्तर चलती रहती हैं। नियोजन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। एक पंचवर्षीय योजना को संशोधित रूप में अगले पाँच वर्षों के लिए बनाया जाता है।

(2) क्षेत्रीय नियोजन - प्रणाली के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों एवं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र जैसी भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है। इनमें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम शामिल हैं। क्षेत्रीय नियोजन कार्य प्रणाली में क्षेत्र विशेष के आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हेतु अनेकानेक कार्यक्रम लागू किये जाते हैं।

(3) बहुधन्धी नियोजन- भारत में नियोजल के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु प्रथम प्रयास सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के साथ प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1952 में, देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम चलाये गये। इसमें कृषि एवं पशुपालन के अलावा सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, लघु एवं कुटीर उद्योग, सड़क, आवास, दूरसंचार आदि अलेक परियोजनाओं को अंगीकृत किया गया है। अर्थात् इसमें एक साथ अनेक धन्धों को अपलाया गया। विकास की यह नियोजन पद्धति बहुधन्धी नियोजन पद्धति कहलाती है।

( 4 ) वर्गीकृत एवं स्थानिक नियोजन- संतुलित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए वर्गीकृत एवं स्थानिक योजनाओं का विशेष महत्व है। ये योजनायें संतुलित आर्थिक विकास की अवधारणा पर आधारित हैं। स्थानिक विकास एवं क्षेत्रीय विकास की अवधारणा काफी मिलती-जुलती है। वर्गीकृत नियोजन को स्थानिकता से जोड़कर वांछित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्गीकृत लियोजन के अन्तर्गत प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो इस प्रकार से वर्गीकृत हैं-

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

प्राथमिक क्षेत्र - कृषि, पशुपालन एवं संबंधित क्रियायें, स्खलन, वानिकी आदि ।

द्वितीयक क्षेत्र - विनिर्माण यथा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग ।

तृतीयक क्षेत्र - बैंकिंग, बीमा, परिवहन व्यापार आदि ।

(5) सामान्य एवं बहु-स्तरीय नियोजन - सामान्य नियोजन के अन्तर्गत लियोजन का प्रारूप राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित होता है। राष्ट्रीय स्तर पर लियोजन का निर्माण कर उसे निम्न स्तर की इकाइयों (प्रशासनिक इकाइयों) को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसी स्थिति में निम्न स्तर के अधिकारियों को योजना की तकनीकी जानकारी नहीं हो पाती है। इसके कारण नियोजन का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की नियोजन प्रणाली से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता है। सामान्य नियोजन प्रणाली केन्द्रीयकृत योजना प्रणाली की जरूरत है। विकेन्द्रीकृत नियोजन में बहु-स्तरीय योजना की अवधारणा अधिक सही एवं उपयुक्त मानी जाती है। बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली में योजला का निर्माण विभिन्न प्रशासनिक स्तर (छोटे तथा बड़े) पर विस्तृत गहन विचार विमर्श के फलस्वरूप होता है। इसके अन्तर्गत नियोजन की प्रक्रिया छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर उन्मुख होती है। इसमें क्षेत्रीय असंतोष के स्थान पर क्षेत्रीय अन्तर्सम्बद्धता का गुण पाया जाता है।

(6) लक्षित वर्ग नियोजन- लक्षित वर्ग नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत वर्ग विशेष जिसमें निर्धन वर्ग को लक्ष्य बनाकर नियोजन प्रक्रिया अपनायी जाती है। ग्रामीण विकास हेतु लक्षित वर्ग प्रणाली के अन्तर्गत 'निर्धन वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए योजना बनायी जाती है क्योंकि समेकित योजना के तहत निर्धन वर्ग को समुचित लाभमिलले की संभावनायें प्रायः कम रहती हैं। अतः इसके लिए 'लक्षित वर्ग प्रणाली' उपयुक्त मानी जाती है।

विकेन्द्रीकृत नियोजन का स्तरीकरण (Levelisation of Decentralised Planning) :

भारत में अधिकांश जनसंख्या श्रम शक्ति तथा भूमिगत क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल है। अत विकेन्द्रीकृत नियोजल को विभिन्न स्तरों में विभाजित करला उपयुक्त रहता है। इसमें योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन राष्ट्र प्रान्त जनपद, विकास खण्ड, ग्राम तथा परिवार स्तर पर होता है। इस

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

प्रकार बहुस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया भारत के ग्रामीण एवं समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु आवश्यक ही नहीं, एक उपयोगी पहल है। विकास नियोजन का स्तरीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है-

(1) पारिवारिक नियोजन (2) ग्राम स्तरीय नियोजन (3) खण्ड स्तरीय लियोजन, (4) जिला स्तरीय नियोजन, (5) क्षेत्रीय नियोजन, (6) प्रान्तीय लियोजन (7) राष्ट्रीय नियोजन |

पारिवारिक नियोजन (Household Planning) :

परिवार स्तरीय नियोजल बनाते समय इस बात पर ध्यान दिया जाला चाहिए कि परिवार के पास उपलब्ध संसाधन या उसके आस-पास के परिवेश में उपलब्ध संसाधनों की क्या स्थिति है। इससे परिवार को कच्चा माल या अवसंरचनात्मक असुविधा नहीं होगी तथा योजना का अनुकूल लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत यदि परिवार को उचित 'प्रोजेक्ट' (Project ) उपलब्ध कराया जाये तथा उसके समुचित लाभ प्राप्त कराए आये तो परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकेगा तथा आर्थिक विकास के मार्ग में अग्रसर होगा। ऐसे परिवार को आय सूजक प्रोजेक्ट दिलाया जाये। यह प्रोजेक्ट उत्पादन के प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों से किसी से भी लिया जा सकता है। चूंकि ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक क्षेत्र (विशेषकर कृषि क्षेत्र) में जलशक्ति की निर्भरता अधिक है। उसके कारण कृषि क्षेत्र में सीमान्त उत्पादकता ऋणात्मक है तया अदृश्य बेरोजगारी Disguised Unemployment) विद्यमान है। अतः बेहतर यह होगा कि परिवार को द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में परियोजना उपलब्ध करायी जाये। द्वितीयक क्षेत्र के तहत उद्योगों (कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना हो सकती है।

परिवार को उद्योगों की ओर प्रोत्साहित करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें इसकी सम्बद्धता उद्यमशीलता की इच्छा तथा प्रशिक्षण की सुविधा सुलभ हो तृतीयक क्षेत्र में परिवार के लोगों को खुदरा व्यापार भवन निर्माण, परिवहन, विपणन, बीमा, दस्तकारी सेवा, व्यापार आदि सेवाओं में लगाया जा सकता है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

**ग्राम स्तरीय नियोजन (Village Level Planning) :**

ग्राम स्तरीय नियोजन को परिवार की योजनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। ग्राम के लिए योजना बनाते समय वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ श्रम शक्ति तथा वित्तीय खातों को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक परिवार की योजनाओं की जानकारी एकत्र करने के बाद उसका विश्लेषण कर गाँव के लिए एक समग्र योजना तैयार की जाती है। ग्राम के लिए बनायी गयी योजना के लक्ष्यों को निर्धारित करके उसे निश्चित समय में पूरा कर गाँव की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। गांव के लिए योजना निर्माण में इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसमें गाँव के संसाधनों का समुचित मात्रा में उपयोग हो। ग्राम क्षेत्र में उपलब्ध कत्ते माल, मालव शक्ति आदि संसाधनों का अनुकूलतम स्तर का उपयोग किया जाना चाहिए। वर्ष 1978-79 में एकीकृत ग्राम विकास योजना के प्रारम्भिक वर्षों में ग्रामीण सर्वेक्षण ( Village Survey) किया गया तथा निर्धनता की रेखा से लीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के संबंध में विस्तृत ब्यौरा दिया गया, जिसके आधार पर ग्राम योजना तैयार की गयी। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि जिन परिवारों की सूचना को विकास खण्ड कार्यालयों में एकत्रित किया गया था, उनकी अधिकांश सूचलाएँ वास्तविकता से दूर थीं। ग्राम नियोजन हेतु आज तक सही दृष्टि से कोई काम नहीं हो पा रहा है।

**खण्ड स्तरीय नियोजन (Block Level Planning) :**

विकास खण्ड स्तर पर लियोजन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय विकास करना है। इस स्तर पर किया गया नियोजल क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय नियोजन के लिए नींव की ईंट का काम करता है। विकास खण्ड स्तर के लिए योजना निर्माण हेतु ग्राम एवं उसमें निवास करने वाले परिवारों के उद्यमों को आधार बनाया जाता है। इस योजना में स्थानीय संस्थाओं, ग्रामों की निर्धनता, बरोजगारी, पिछड़ापन, सामाजिक ढाँचा आदि तत्वों पर विवार करते हुए कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाता है। वर्ष 1952 में देश में विकास खण्डों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाये गये। विकास खण्ड स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाने के लिए पंचायत समिति इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, क्योंकि विकास

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

खण्ड का आयोजन विकास इकाई के रूप में ग्रहण करते समय स्थानीय स्वायल शामल सगठनों अथवा पंचायती राज संस्थाओं को तीन स्तरों के रूप में चुना गया था जिला विकास खण्ड तथा ग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के तहत विकास खण्ड में सिचाई, विद्युत सड़क, भवन-निर्माण तथा प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं को अपनाया गया । लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुभारम्भ के 10-15 वर्ष बाद विकास खण्ड स्तर पर इसका बजट सीमित हो गया तथा खण्ड स्तर की स्वायत्तशासी संस्था पंचायत समिति विकास खण्ड के लिए संसाधन जुटाने में असमर्थ हो गयी। इस प्रकार खण्ड स्तर पर योजनायें क्रमशः घटती गयी।

एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम 1978 में जब प्रारम्भ किये गये तो इसमें यह तय किया गया या कि ये कार्यक्रम खण्ड स्तर पर तैयार किये जायेगे तथा उसके बाद उसे जिलास्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण' (D.R.D.A.) के साथ जोड़ा जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। योजनायें जिला स्तर पर तैयार करके विकास खण्डों पर थोप दी जाती है। अतः विकास खण्डों को मात्र सूचनायें एकत्र करने तथा कार्यक्रम चालू करने का माध्यम बनाया गया, योजना निर्माण के लिए नहीं।

जिला स्तरीय नियोजन (District Level Planning) :

जिला स्तरीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन, राज्य तथा क्षेत्रीय नियोजन के लिए प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। दूसरी तरफ यह परिवार, ग्राम तथा विकास खण्ड स्तरीय योजनाओं को जोडने का कार्य करता है। जिला स्तरीय योजना को पंचवर्षीय आधार पर तैयार कर उसमें आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है।

जिला स्तरीय नियोजल हेतु लिम्नांकित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है-

(1) प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उनका युक्ति संगत उपयोग ।

(2) मानव संसाधन (श्रमशक्ति) का पूरा-पूरा उपयोग ।

(3) अवसरंचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करना।

(4) विभागीय संगठनों की स्थापना करना ।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

(5) संगठन एवं संस्थाओं की स्थापना तथा उनका उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग करना ।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए श्रम -गहन तथा सरल तकनीकी कार विकास करना ।

(7) स्थानीय ऊर्जा स्रोतों (पवन, जल आदि) का नियोजित विकास करना । (e) न्यूनतम उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यवस्था करना ।

इसके अलावा जनपद स्तरीय योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें नीचे के स्तर (विकास खण्ड, ग्राम तथा परिवार स्तर) की योजनाओं को समुचित स्थान मिलना चाहिए। वास्तविक रूप में जनपद स्तरीय नियोजन को निचले स्तर की योजनाओं के सूत्राधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जिला स्तरीय नियोजन पर जोर दिया जाता रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में जनपद स्तर पर अनेक कार्यक्रम चालू किये गये जिनमें कृषि सिचाई, भूमि संरक्षण, वानिकी, पशुपालन, शिक्षा, स्कूल भवन, पेयजल आपूर्ति, सड़कों का निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यों को शामिल किया गया। लेकिन जिला स्तरीय नियोजन को विशेष रूप से चौथी योजला (1969-74) में महत्व दिया गया। वर्ष 1969 में योजना आयोग ने देश में जिला स्तरीय योजना तैयार करने के लिए राज्यों को निर्देश दिये। इसके बाद जिला स्तरीय नियोजन का महत्व बढ़ता रहा है। छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना की 'एकीकृत ग्राम्य विकास योजना' को जिला स्तरीय नियोजन का एक रूप कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाद में आठवीं एवं नवीं योजना में इसे प्राथमिकता दी गई है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 2004 पृ. 40.

2. भारत-2004: प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पृ. 106.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

3. गिरधारी लाल व्यास समिति प्रतिवेदन, सामुदायिक विकास और पंचायत विभाग, राजस्थान पृ. 103.

4. सादिक अली, पंचायती राज अध्ययन दल की रिपोर्ट, पंचायत एवं विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर पृ. 126.

5. रविन्द्र शर्मा ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पृ. 102.

6. अशीक शर्मा भारत में स्थानीय प्रशासन पृ. 150.